उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 6 | 16-31 मार्च 2024 | ₹ 20/-

उर्दू मीडिया के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

- शरीयत पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद
- मॉस्को में हुए आतंकी हमले में सैकड़ों मरे
- सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्धविराम का प्रस्ताव मंजूर
- दारुल उलूम देवबंद को एक और नोटिस

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक घोषित 04
दारुल उलूम देवबंद को एक और नोटिस 08
गुजरात में विदेशी छात्रों पर हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई 11
शरीयत पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद 14
उर्दू मीडिया के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 17

विश्व

मॉस्को में हुए आतंकी हमले में सैकड़ों मरे 22
पाकिस्तान के हवाई हमले में आठ अफगान मरे 24
अमेरिकी मुसलमानों द्वारा एक अरब 80 करोड डॉलर की जकात 26
पाकिस्तान में चीनियों पर हमले 27
अफगानिस्तान में बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि 29

पश्चिम एशिया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्धविराम का प्रस्ताव मंजूर 30
सऊदी रक्षा मंत्री को मिला निशान-ए-पाकिस्तान सम्मान 33
हूतियों द्वारा हिंद महासागर की भी नाकेबंदी करने का ऐलान 34
संयुक्त अरब अमीरात में 87 देशों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश 36
ईरान का नया गाजा ड्रोन इजरायल और अमेरिका के लिए खतरा 37
सीरिया पर इजरायल का हमला 38

सारांश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत के इस फैसले से राज्य के 25 हजार मदरसों और उनके अध्यापकों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि इन मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले 26 लाख छात्रों की शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूलों में की जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 86 पृष्ठों के अपने फैसले में कहा है कि भारतीय संविधान की मूल अवधारणा धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, इसलिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड गठित करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं, मुसलमानों का एक वर्ग इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले का विरोध कर रहा है। उनका यह तर्क है कि अदालत का यह फैसला संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए विशेष अधिकारों के विपरीत है। मदरसों से जुड़े कई याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

हाल ही में कुछ लोगों ने गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास में विदेशी छात्रों पर हमला किया था। इस हमले से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने में केंद्र और राज्य सरकार ने जो बुद्धिमता दिखाई है वह प्रशंसनीय है। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 300 से अधिक विदेशी छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि छात्रावास परिसर में रमजान के दौरान तरावीह की नमाज अदा करने के सवाल पर कुछ लोगों की इन विदेशी छात्रों के साथ झड़प हुई थी। इस झड़प में कुछ लोग घायल हो गए थे। इस घटना के कारण विदेशों में भारत की छवि को नुकसान हो सकता था, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद इस घटना से संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार द्वारा पुलिस की नौ टीमें गठित की गई हैं। खास बात यह है कि गुजरात सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अखबार 'एतेमाद' ने भी किया है।

हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए इस्लामी आतंकी हमले में लगभग 150 लोग मारे गए हैं। इस हमले के दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से चार लोगों ने अपने अपराध को भी स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी मीडिया ने इस हमले के लिए अतिवादी इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस को दोषी ठहराया है। जबकि रूस ने इस घटना के लिए अमेरिका, यूक्रेन और ब्रिटेन को दोषी ठहराया है। हालांकि, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि रूस में इस्लामी आतंकवाद बड़ी तेजी से फैल रहा है।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में दिन-प्रतिदिन कटुता बढ़ रही है। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की वायु सीमा का अतिक्रमण करके उसके कई गांवों को अपना निशाना बनाया है। इस हमले में कई अफगान नागरिक भी मारे गए हैं। अफगान सरकार ने इस घटना पर जबरदस्त विरोध प्रकट किया है। वहीं, पाकिस्तान सरकार ने सफाई दी है कि उसने उन इस्लामी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जो पाकिस्तान में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के लिए अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक घोषित

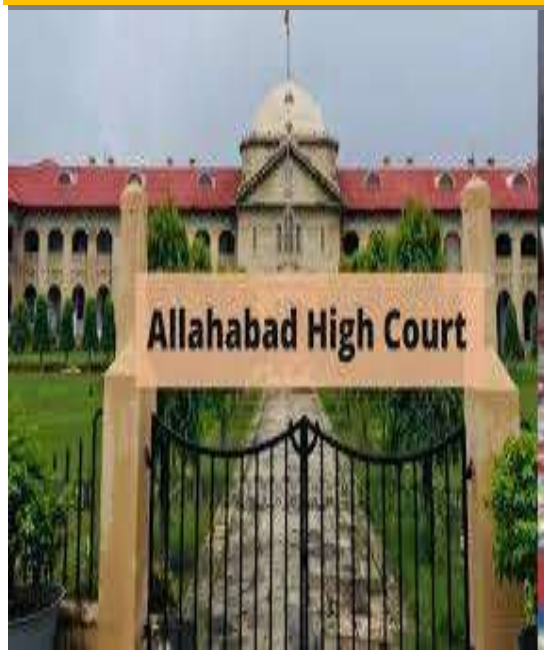

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद मदरसों से जुड़े कई याचिकाकर्ताओं ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अंजुम कादरी सहित कई याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं है। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा था कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड गठित करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि राज्य के मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनके छात्रों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में भर्ती किया जाए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के कारण देशभर के मुसलमानों में बेचैनी का माहौल है, क्योंकि इन मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों एवं हजारों अध्यापकों का भविष्य दांव पर लग गया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई है। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव ने बेसिक एवं सेकेंडरी शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा बोर्ड के उच्चाधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में उच्च न्यायालय के फैसले के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया था। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि भाजपा शासित असम में 1281 इस्लामी मदरसों को स्कूलों में बदला जा चुका है। मुसलमानों ने इन मदरसों की

स्थापना अपने संसाधनों से की थी और राज्य सरकार की भूमिका सिर्फ इन मदरसों के अध्यापकों को वेतन देने तक ही सीमित थी। अब राज्य सरकार ने इन मदरसों की संपत्ति हड़प ली है, जिनकी कीमत अरबों रुपये की बताई जाती है। अभी यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

इंकलाब (23 मार्च) के अनुसार न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने 86 पृष्ठों के फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य स्कूलों और कॉलेजों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। मुस्लिम चिंतकों का कहना है कि देश के अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान के तहत अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन पिछले कुछ समय से सिर्फ इस्लामी मदरसों को ही किसी न किसी बहाने से निशाना बनाया जा रहा है। 8 फरवरी 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका अंशुमान सिंह राठौड़ ने दायर की थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान मदरसा बोर्ड अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम संविधान की धारा 14, 21 और 21-ए के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 का भी खुला उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि राज्य के मदरसों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इन मदरसों के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों में दाखिल करने की व्यवस्था करे। अगर जरूरत महसूस होती है तो नए स्कूलों की भी स्थापना की जाए।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने अदालत के इस फैसले पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा है कि मदरसों में दीनी (धार्मिक) शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए सरकारी अनुदान दिया जा रहा है और इसके लिए संस्कृत और अरबी-फारसी बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि हम अदालत में अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख सके हैं। टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया उत्तर प्रदेश के महासचिव दीवान साहिब जमान खान ने कहा कि अदालत का यह फैसला खेदजनक है। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से दो वरिष्ठ वकीलों ने अदालत में जो तर्क रखे थे उन पर अदालत ने कोई ध्यान नहीं दिया और एकतरफा फैसला सुना दिया है। जमान खान ने कहा कि संविधान की धारा 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने और उनके लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार हासिल है। उन्होंने कहा कि अगर मदरसों के छात्रों को अन्य शिक्षण संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो सभी इस्लामी मदरसे बंद हो जाएंगे। फिर मदरसों में पढ़ाने वाले अध्यापकों का क्या होगा?

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से अदालत में इस केस की पैरवी करने वाले वकील अफजल अहमद सिद्दीकी ने भी अदालत के इस फैसले पर हैरानी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि मदरसों को अनुदान सरकार के आदेश के तहत दिया जाता है न कि मदरसा बोर्ड कानून के तहत। उन्होंने कहा कि मदरसे 2004 के पहले से ही संचालित हो रहे हैं और उन्हें सरकारी अनुदान मिलता रहा है।

रोजनामा सहारा (23 अप्रैल) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत मदरसे स्थापित किए हैं और राज्य में संस्कृत पाठशालाएं भी मौजूद हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस समय 25 हजार से अधिक मदरसे मौजूद हैं। इनमें से 16500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। इसके अतिरिक्त राज्य में 8500 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि अदालत का यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के इस्लामी मदरसों के सर्वेक्षण किए जाने के बाद आया है। इससे पहले राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में इन मदरसों को विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इस टीम ने यह संदेह व्यक्त किया था कि राज्य के कुछ मदरसों को विदेशी स्रोतों से अवैध रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में राज्य के कुछ मदरसों को बंद करने की भी सिफारिश की थी।

एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम साल 2004 में पारित किया गया था। इसका लक्ष्य राज्य के मदरसों की शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाना था। बोर्ड ने मदरसों के पाठ्यक्रम और अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में भी दिशा-निर्देश जारी किए थे। एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के 121 मदरसों में मिनी आईटीआई भी चल रहे हैं। इनमें 9514 अध्यापक कार्यरत हैं। पहले ये मदरसे अरबी-फारसी बोर्ड के तहत काम करते थे, मगर 1996 में इन्हें इस बोर्ड से अलग करके अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत कर दिया गया। 14 दिसंबर 2007 को राज्य सरकार ने अरबी-फारसी बोर्ड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कर दिया और इसका मुख्यालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया।

एतेमाद (25 मार्च) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस फैसले से 26 लाख बच्चे और दस हजार

अध्यापक प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बताना चाहिए कि क्या वे इस्लामी मदरसों को बंद करने के पक्ष में हैं? अगर नहीं, तो क्या सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी? उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार दीनी मदरसों को बंद करना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि ये मदरसे इस्लाम के किले हैं और हमारे पूर्वजों ने इन मदरसों से अंग्रेज सरकार के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था।

हिंदुस्तान (30 मार्च) ने अपने संपादकीय में अदालत के फैसले की निंदा की है और कहा है कि क्या हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में अल्पसंख्यकों को अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत जीने का अधिकार नहीं है? भारत एक लोककल्याणकारी राज्य है और सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह शिक्षा की व्यवस्था करे, मगर सरकार की ओर से शिक्षा के बजट में निरंतर कटौती की जा रही है। दीनी मदरसों को निशाना बनाया जाना इस बात का संकेत है कि वर्तमान सरकार यह नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक और विशेष रूप से मुसलमान अपने दीन पर कायम रहते हुए इस देश में सुकून से जीवन व्यतीत करें।

संपादकीय में कहा गया है कि भारत में दीनी मदरसों का एक लंबा इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का जो काफिला निकला था उसका नेतृत्व इन्हीं मदरसों के छात्र कर रहे थे। इन मदरसों के हजारों इस्लामी विद्वानों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद दीनी मदरसों को आतंकवाद का अड्डा करार देना इतिहास को मटियामेट करने के बराबर है। समाचारपत्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने दीनी मदरसों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। असम में अनेक मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताकर उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ऐसी सरकारी नीतियों से मुसलमानों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। यह सब चुनाव के अंत तक जारी रहेगा। मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रचार करके सत्तारूढ़ पार्टी देश के बहुसंख्यक वोटों को बटोरना चाहती है। मामला सिर्फ मदरसों को खत्म करने का नहीं, बल्कि यह मुसलमानों की दीनी और मिल्ली पहचान को मिटाने की एक सोची समझी साजिश है।

उर्दू टाइम्स (24 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी नजर दीनी मदरसों पर लगी हुई है। उन्हें यह बात खटक रही है कि करोड़ों के सलाना बजट वाले ये मदरसे कैसे चलाए जा रहे हैं? पूर्ववर्ती सरकार ने मदरसों के विकास और उनके अध्यापकों की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए मदरसा बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड के जरिए सरकार की ओर से मदरसों के अध्यापकों को वेतन दिया जा रहा था। इससे अध्यापकों की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी, जो योगी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी दौरान अंशुमान सिंह राठौड़ जैसे कई लोग अदालत में गए और मदरसा बोर्ड के गठन को ही चुनौती दे दी। तर्क यह दिया गया कि यह बोर्ड धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत है। अदालत ने भी इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया और मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान को भी बंद कर दिया गया है।

संपादकीय में कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह फैसला कई सवाल पैदा करता है। अब जब बोर्ड को असंवैधानिक करार दे दिया गया है तो पुरानी सरकार भी संदेह के घेरे में आ गई है। अगर यह सच है तो उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने यह असंवैधानिक मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून बनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले से पूरी दुनिया में यही संदेश गया होगा कि दीनी मदरसों के

अध्यापक गैरकानूनी तौर पर वेतन ले रहे थे। समाचारपत्र ने कहा है कि अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और उस पर ऐतराज भी नहीं किया जा सकता। हालांकि, एक अफसोस जरूर है कि जहां लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हों, वहां अगर कुछ रुपये शिक्षा के लिए किसी बोर्ड के माध्यम से खर्च हो रहे थे तो उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए थी। अगर अदालत ने अनुदान बंद करने का निर्देश दिया था तो भी उसके खिलाफ सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार को सभी लोग कर देते हैं। इस मामले में सरकार की खामोशी से यही अंदाजा होता है कि सरकार भी यही चाहती थी।

दारुल उलूम देवबंद को एक और नोटिस

मुंबई उर्दू न्यूज (30 मार्च) के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एक बार फिर से दारुल उलूम देवबंद की घेराबंदी करने की कोशिश की है। एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजकर दारुल उलूम के एक फतवे की कुछ आपत्तिजनक सामग्री को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालांकि, दारुल उलूम देवबंद ने यह साफ किया है कि जिस फतवे का हवाला दिया जा रहा है वह उसकी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीपीसीआर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एक अभियान चला रहा है। इससे पहले भी दो बार उसने सहारनपुर के जिलाधिकारी को दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कार्रवाई करने का नोटिस जारी किया था। सहारनपुर के जिला प्रशासन ने इन नोटिसों के जवाब में आयोग को एक पत्र भेजकर यह स्पष्ट किया था कि दारुल उलूम देवबंद के जिस फतवे का उल्लेख किया गया है उसके आधार पर इस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं बनता है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि हमें दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री मिली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को यह निर्देश दिया है कि दारुल उलूम देवबंद की वेबासाइट पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

अखबार-ए-मशरिक (30 मार्च) के अनुसार दारुल उलूम देवबंद के एक प्रवक्ता ने एनसीपीसीआर के इस नोटिस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह का कोई फतवा उनकी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। जबकि आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने यह दावा किया है कि उन्हें इस फतवे की एक कॉपी मिली है, जिसमें पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने गैर-मुसलमानों पर आत्मघाती हमले के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने इसे गलत और अमानवीय बताने के बजाय यह कहा कि वह इस

संदर्भ में अपने स्थानीय मुस्लिम विद्वानों से संपर्क करे। कानूनगो का कहना है कि इससे एक बात फिर से उजागर हुआ है कि इस तरह के फतवे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया कि दारुल उलूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी एक कॉपी तीन दिनों के अंदर आयोग को भेजी जाए। इस पत्र की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी भेजी गई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 मार्च) में प्रकाशित एक समाचार में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बेंगलुरु में एक मदरसे के निरीक्षण के दौरान छात्रों से अनुचित और आपत्तिजनक प्रश्न किए। मदरसे के अधिकारियों का कहना है कि इस आयोग का कार्य बाल अधिकारों की रक्षा करना है, न कि उन्हें धमकाना। समाचारपत्र के अनुसार बेंगलुरु के एक मदरसे की छात्रा ने यह आरोप लगाया है कि एनसीपीसीआर की एक टीम ने निरीक्षण के दौरान उसकी पिटाई की। इस दौरान उससे कई आपत्तिजनक प्रश्न पूछे गए। इस लड़की का कहना है कि उससे उसका नाम और उम्र पूछा गया। फिर उससे पूछा गया कि क्या उसकी शादी कराकर उसे कुवैत या दुबई भेज दिया जाएगा? लड़की ने कहा कि जब मैंने इस संबंध में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दी। इस लड़की का यह भी कहना है कि उससे यह पूछा गया कि इस मदरसे की कितनी लड़कियां शादी करके दुबई चली गई हैं? सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में इस मदरसे की एक महिला पदाधिकारी ने यह आरोप लगाया है कि एनसीपीसीआर की टीम ने बच्चों से अश्लील प्रश्न पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि एक व्यक्ति मदरसे में आता है तो वह यहां क्या लेकर लाता है? क्या वह तुम्हे छूता है? कुछ बच्चों से पूछा गया कि क्या वे मदरसे में शिक्षा पूरी करने के बाद दुबई या सऊदी अरब जाएंगे? जबकि कुछ अन्य छात्राओं से पूछा गया कि वे मदरसे में क्यों पढ़ रही हैं? उन्हें तो एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी।

इंकलाब (21 मार्च) के अनुसार जमीयत उलेमा ने दीनी मदरसों और जमीयत ओपन स्कूल को बदनाम करने के आरोप में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की ओर से विख्यात वकील वृंदा ग्रोवर ने आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर कहा है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने बयान को वापस लें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 13 मार्च को प्रियंक कानूनगो ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) को एक पत्र लिखकर जमीयत उलेमा के शिक्षण संस्थान जमीयत ओपन स्कूल अभियान को संगठित अपराध की संज्ञा दी थी। इसके साथ ही इस पर विदेशों से फंड लेने और पाकिस्तान से संबंध रखने का भी आरोप लगाया गया था। कानूनगो ने एक टीवी कार्यक्रम में भी इस आरोप को दोहराया था। नोटिस में कहा

गया है कि जमीयत उलेमा जैसे राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने और उस पर झूठे आरोप लगाने के प्रयास को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दीनी मदरसों को सरकार की शैक्षिक व्यवस्था में कानूनी मान्यता प्राप्त है। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम से यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और बुनियादी तौर पर धार्मिक शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों पर लागू नहीं होगा। इसी तरह मदरसों को भारतीय संविधान की धारा 29 और 30 में भी कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। नोटिस में कहा गया है कि पाकिस्तान से फंड प्राप्त करने का जो आरोप लगाया गया है वह बेबुनियाद और शरारतपूर्ण है।

अवधनामा (31 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि एनसीपीसीआर ने एक बार फिर से दारुल उलूम देवबंद की घेराबंदी करने की कोशिश की है। इस संबंध में इस बार एक नए फतवे का सहारा लिया गया है। हालांकि, दारुल उलूम देवबंद ने यह स्पष्ट किया है कि जिस तरह के फतवे का हवाला दिया जा रहा है वह उसकी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि आयोग जानबूझकर दारुल उलूम के खिलाफ एक अभियान चला रहा है। यह पहला अवसर नहीं है जब दारुल उलूम को अपना निशाना बनाया गया है। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब भी दारुल उलूम नदवा पर छापा मारा गया था। यह अलग बात है कि इस छापे का मुलायम सिंह यादव ने सख्त नोटिस लिया था। इसका साफ मतलब है कि तब भी और आज भी ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जिनकी नजरें मुस्लिम संस्थानों पर टेढ़ी हैं।

इससे पहले एनसीपीसीआर ने जो नोटिस जारी किया था उसकी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी ने आयोग को सौंप दी थी। जिलाधिकारी ने इस रिपोर्ट में कहा था कि दारुल उलूम के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई ठोस आधार नहीं है। इस संदर्भ में दो बातें उल्लेखनीय है। एक तो यह कि दारुल उलूम ने स्वयं इस बात का खंडन किया है कि ऐसा कोई फतवा उसकी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। फिर भी अगर यह मान लिया जाए कि दारुल उलूम ने प्रश्नकर्ता को अपने स्थानीय मुस्लिम विद्वानों से संपर्क करने का निर्देश दिया तो इसमें ऐसा क्या कहा गया कि इस संस्थान पर देश की सुरक्षा के लिए खतरा होने का आरोप लगाया गया।

संपादकीय ने यह आरोप लगाया है कि इस देश में ऐसे तत्व मौजूद हैं, जो मुसलमानों और उनके संस्थानों के खिलाफ निरंतर अभियान चला रहे हैं। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष को इस तरह के पत्र लिखने से पहले दारुल उलूम के इतिहास और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका का अध्ययन करना चाहिए था। उसे यह भी देखना चाहिए था कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के आरोप में कितने मुस्लिम विद्वानों को फांसी दी गई थी। अगर एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति भी मुस्लिम धर्म के खिलाफ अपनी घृणा के कारण ऐसी हरकतें करता है तो उसे अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दारुल उलूम को चाहिए कि वह ऐसे गैर-जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे।

संपादकीय ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि भाजपा के अन्य नेताओं की तुलना में बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में

'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के फार्मूले को ठोस रूप से पेश किया है। वे आज भी यह खुलेआम कहते हैं कि उनके सत्ता में रहते हुए राज्य के किसी भी वर्ग के खिलाफ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। ऐसा भी देखा जाता है कि मुख्यमंत्री के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। समाचारपत्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत धार्मिक आस्था जो भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्य अन्य मुख्यमंत्रियों से कई गुना बेहतर है। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे नेक नाम मुख्यमंत्री के सत्ताकाल में बार-बार दारुल उलूम देवबंद जैसे संस्थानों को निशाना बनाने के अभियान के पीछे कहीं उनकी छवि को दागदार करने की कोई साजिश तो नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को फौरन इस मुद्दे का नोटिस लेना चाहिए।

गुजरात में विदेशी छात्रों पर हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई

एतेमाद (18 मार्च) के अनुसार 16 मार्च की रात को गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले कुछ विदेशी छात्रों पर नमाज के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने हमला किया था। इसके बाद गुजरात सरकार ने इन हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर दो हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जांच-पड़ताल के बाद कई अन्य हमलावरों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार इस घटना के बाद श्रीलंका और ताजिकिस्तान के दो छात्रों को घायलावस्था में अस्पताल में दाखिल किया गया है। यह घटना गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ए ब्लॉक छात्रावास में हुई थी। डीसीपी तरुण दुग्गल ने बताया कि 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा करने, अवैध रूप से भीड़ इकट्ठा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अतिक्रमण करने जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है उनकी पहचान हितेश मेवाड़ा और भरत पटेल के रूप में की गई है।

अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बताया कि इस घटना की जांच के लिए पुलिस की नौ टीमों का गठन किया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस घटना के बारे में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर के उन्हें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि शनिवार (16 मार्च) की रात लगभग 11 बजे दो दर्जन लोग गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास में घुसे और वहां पर नमाज अदा कर रहे विदेशी छात्रों के साथ मारपीट की। मलिक ने बताया कि इन बाहरी लोगों ने इन छात्रों से कहा कि वे मस्जिद में नमाज पढ़ें। इसके बाद दोनों गुटों में झड़प शुरू हो गई। इसके साथ ही इन लोगों ने विदेशी छात्रों के कमरों में घुसकर तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच के लिए जो टीमें गठित की गई हैं उनका नेतृत्व अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी।

इस घटना से संबंधित कई वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों को पथराव करते हुए देखा गया है। एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय के कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इन वीडियो की बारिकी से जांच की जा रही है। गुजरात विश्वविद्यालय में 300 से अधिक विदेशी छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से कई का संबंध अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों से है। 75 विदेशी छात्र छात्रावास के ए ब्लॉक में रहते हैं, जहां पर यह घटना हुई है। इस घटना के कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने स्थिति पर काबू पा लिया। विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉ. नीरजा गुप्ता ने बताया कि छात्रावास के दो गुटों में झड़प हुई थी, जिसमें पांच विदेशी छात्र घायल हुए थे। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस घटना का गंभीरता से नोटिस लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक घायल विदेशी छात्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के संपर्क में है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

समाचारपत्र ने कहा है कि क्योंकि गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए विदेशी छात्र तरावीह की नमाज अदा करने के लिए छात्रावास में जमा हुए थे। नमाज के दौरान लाठियों और चाकुओं से लैस कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। छात्रावास के सुरक्षाकर्मी इस भीड़ को रोकने में विफल रहे। अफगानिस्तान के एक छात्र ने कहा कि हमलावर उत्तेजक नारे लगा रहे थे और उन्होंने छात्रों के कमरों में घुसकर उनके लैपटॉप और अन्य उपकरण तोड़ दिए। इस हमले में पांच छात्र घायल हो गए, जिनका संबंध अफगानिस्तान, श्रीलंका, तुर्किमेनिस्तान और अफ्रीकी देशों से है। पुलिस के पहुंचने तक हमलावर मौके से भाग गए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना की निंदा की है और प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी कहा है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत की भावना पनप रही है उससे विश्व में भारत की बदनामी हो रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 मार्च) के अनुसार विदेश मंत्रालय ने गुजरात विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ने को लेकर हुए झगड़े के सिलसिले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में अभी तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य दोषियों की तलाश की जा रही है। छात्रावास में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और

विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग के प्रमुख और छात्रावास के वार्डन का तबादला कर दिया गया है। विदेशी छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर आवास की सुविधा दी गई है। विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉ. नीरजा गुप्ता ने कहा कि नमाज के लिए धार्मिक स्थलों या कमरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए।

एतेमाद (19 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गुजरात विश्वविद्यालय की इस घटना से पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी एक पुलिसकर्मी ने नमाजियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इससे विश्वभर में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमला सुनियोजित था। समाचारपत्र ने यह स्वीकार किया है कि इस हमले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। समाचारपत्र ने कहा है कि हमलावरों को यह सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया कि छात्रावास के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति है या नहीं? जब हमलावर हथियार लेकर छात्रावास में घुसे तो वहां के कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को तलब क्यों नहीं किया? यह घटना देश के किसी पिछड़े या दूर-दराज इलाके में नहीं हुई, बल्कि यह घटना हमारे प्रधानमंत्री के गृह राज्य में हुई है, जिसे देश भर में एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है।

समाचारपत्र ने कहा है कि हाल के दिनों में यह भी देखने में आया है कि लाउडस्पीकर से अजान देने पर आपत्ति की जा रही है और शांतिपूर्ण नमाज पढ़ने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों हरियाणा के गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने के विरोध में एक मस्जिद पर हमला किया गया था और उसमें आग लगा दी गई थी। इस घटना में एक इमाम की मौत हो गई थी। इन घटनाओं के कारण लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि एक ओर तो प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी ओर, देश में सड़क पर नमाज अदा करने वालों को पुलिस लातें मार रही है और छात्रावास के अंदर नमाज पढ़ने वालों पर हमला हो रहा है। इस समय देश में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान चलाया जा रहा है, ऐसा उदाहरण पहले कभी देखने को नहीं मिला। सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कभी कभार सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जाती थी, मगर अब मुसलमानों को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है।

हिंदुस्तान (22 मार्च) ने अपने संपादकीय में पूछा है कि अब नमाज पढ़ने पर आपत्ति क्यों की जा रही है? क्या इस देश में मुसलमानों को अपने मजहब के अनुसार आचरण करने का अधिकार नहीं है? समाचारपत्र ने मांग की है कि सरकार नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि मुसलमानों के उत्पीड़न का समाचार विदेशी मीडिया में प्रकाशित होने से देश की छवि धूमिल होती है।

सियासत (18 मार्च) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सांप्रदायिक तत्वों की गुंडागर्दी शुरू

हो गई है। गुजरात के एक विश्वविद्यालय के छात्रावास में नमाज अदा करने वाले विदेशी छात्रों को हिंसा का निशाना बनाया गया है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत की गई कार्रवाई है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल को खराब करके उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। ऐसे तत्वों को यह चिंता नहीं है कि इनकी इन हरकतों से देश की छवि विश्व मंच पर धूमिल होती है। ये केवल धार्मिक जुनून का शिकार होकर राजनेताओं के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। वैसे भी नागरिकता संशोधन कानून के मसले पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अपनी चिंता प्रकट कर चुके हैं और अब विदेशी छात्रों पर हुए हमले से विश्व स्तर पर देश की बदनामी होगी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के राज्य गुजरात में पहले से ही बेहद खतरनाक माहौल है। जिस तरह से गुजरात में 2002 के दंगे हुए उससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मसार होना पड़ा था। यह अलग बात है कि गुजरात और उसके नेताओं को आज तक उस घटना पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि वे उस पर गौरव का अनुभव करते हैं। एक छात्रावास में नमाज अदा करने वाले विदेशी छात्रों पर हमला किया गया। अब केवल कागजी कार्रवाई होगी। हमलावरों की पहचान होने का दावा किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी का ढोंग भी रचा जाएगा। यह कड़वी सच्चाई है कि अब मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना आम हो गया है और हमलावरों को सजा दिलाने के बजाय पुलिस उन्हें बचाने पर ज्यादा ध्यान देती है। उल्टा पीड़ितों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। यह ऐसी परंपरा शुरू हो गई है जिससे दंगाईयों को प्रोत्साहन मिल रहा है।

शरीयत पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद

इंकलाब (21 मार्च) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर एक टेलीविजन चैनल पर बातचीत करते हुए कहा कि शरीयत और हदीस के मुताबिक अगर कोई जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे अपना पूरा जीवन इसी के मुताबिक गुजारना चाहिए। सीएनएन न्यूज18 के 'राइजिंग भारत समिट' में भाग लेते हुए अमित शाह ने कहा कि शरीयत और हदीस के अनुसार चोरी करने वालों के हाथ काट देने चाहिए और बलात्कार करने वालों को सार्वजनिक रूप से संगसार (पत्थर मार-मार कर मार देना) करना चाहिए। शरीयत और हदीस के मुताबिक कोई मुसलमान बचत खाता नहीं खोल सकता, ब्याज नहीं ले सकता और कर्ज भी नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि शरीयत और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो पूरा जीवन इसी के मुताबिक गुजारना चाहिए। सिर्फ चार शादी करने के लिए शरीयत और हदीस का क्यों सहारा लिया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। शाह ने कहा कि जब भी कोई मुसलमान देश के किसी भी अदालत

में मुकदमा दायर करता है तो उसका फैसला हमारे संविधान और कानून के तहत ही किया जाता है, न कि शरीयत और हदीस के मुताबिक। देश में समान नागरिक संहिता का मामला भाजपा का एजेंडा नहीं, बल्कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह बात कही है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख या बौद्ध हर एक के लिए एक ही कानून होना चाहिए। हम उनके मजहब में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन कानून तो एक ही होना चाहिए।

कौमी तंजीम (24 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शरीयत देश के संविधान से बड़ी नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मकान, रोजगार और सभी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन वे भी हिंदुस्तान के कानूनों के अनुसार ही चलें। अगर मुसलमान इसे स्वीकार करेंगे तो देश की जनता उनका स्वागत करेगी। उन्होंने इस्लामी मदरसों के आधुनिकीकरण का भी समर्थन किया और कहा कि हम मदरसों को आधुनिक बना रहे हैं। हमें वैज्ञानिकों, अभियंताओं और हुनरमंद लोगों की जरूरत है। हमें अपने शिक्षण संस्थानों को इसी के अनुरूप ढालना होगा। राज्य के शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना हमारा लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अपनी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते, शायद इसलिए हम मुसलमानों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सके। हिंदुत्व हिंदुस्तान की आत्मा है और उसकी तौहीन नहीं की जा सकती। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि हम हिंदुत्व की भावना की तौहीन करके राजनीति करेंगे तो हम ऐसी राजनीति को ठोकर मारेंगे। हम देश की सुरक्षा और हिंदू आस्था के सम्मान के सवाल पर किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, बल्कि विकास की बात करती है। हम लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं। अगर कोई दंगा करता है तो हम कानून के अनुसार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और राज्य को दंगों से मुक्त करेंगे।

उर्दू टाइम्स (24 मार्च) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के बारे में उनका वक्तव्य भ्रामक है। रहमानी ने कहा कि यह बात तो तय है कि फौजदारी कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान हैं। ये कानून विभिन्न वर्गों, धर्मों और रिवाजों के मुताबिक नहीं होते हैं। गृह मंत्री का यह कहना कि शरीयत और हदीस के अनुसार आचरण करना है तो चोरी करने वालों का हाथ काट देना चाहिए और बलात्कार करने वालों को सड़क पर संगसार करना चाहिए। किसी भी मुसलमान को बैंक में न तो बचत खाता खोलना चाहिए और न ही कोई कर्ज लेना चाहिए। गृह मंत्री का यह कथन सरासर आधारहीन है।

मौलाना ने कहा कि अमित शाह को यह तो मालूम होना चाहिए कि शरीयत कानून कहां

लागू होते हैं। इस कानून को उन देशों में लागू किया जाता है जहां पर इस्लामी शरीयत पूर्ण रूप से लागू हो। यह बात भी उल्लेखनीय है कि ये सभी बातें सिर्फ इस्लामी शरीयत में ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों में हैं। मनुस्मृति में चोरी और सेंधमारी की सजा हाथ काटना बताई गई है। बलात्कार करने वाले पुरुष के लिए मनुस्मृति में यह व्यवस्था है कि लोहे के पलंग को आग से तपाकर उस पर उसे लिटा दिया जाए ताकि वह जलकर मर जाए। इसके अतिरिक्त इसमें बलात्कारी के लिंग को काटने की सजा की व्यवस्था भी है। हालांकि, ब्राह्मणों को इन सजाओं से मुक्त रखा गया है। उनके लिए सिर्फ यह व्यवस्था की गई है कि उनका सिर मुंडने के बाद उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाए। इस तरह से ब्याज लेने को वेदों में भी मना किया गया है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, चाहे वह हिंदू हो या इस्लाम उनमें नैतिकता को विशेष महत्व दिया गया है। अनैतिकता को रोकने के लिए इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि लोग अपराध करने से बच सकें।

मौलाना रहमानी ने कहा कि सिर्फ शरीयत को निशाना बनाना इस्लाम को बदनाम करने की मानसिकता का संकेत है। इस्लाम में निश्चित रूप से कुछ अपराधों के लिए सख्त सजा की व्यवस्था की गई है ताकि लोग अपराध करते हुए डरें। इस्लाम में शराब पीने पर भी सख्त कैद की व्यवस्था है, लेकिन यह वहीं संभव है जहां पर इस्लामी शरीयत को पूरी तरह से लागू किया गया हो। इस्लाम में बलात्कार के लिए सख्त सजा की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके साथ ही परदे की भी पूरी व्यवस्था रखी गई है। जिस देश में इस्लामी शरीयत लागू है वहां पर पुरुषों और महिलाओं के मेलजोल को रोकने के लिए खास व्यवस्था की गई है।

औरंगाबाद टाइम्स (24 मार्च) के अनुसार मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भूख से मजबूर होकर चोरी करता है तो उसे शरिया के अनुसार सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब सहित जिन मुस्लिम देशों में शरीयत को पूरी तरह से लागू किया गया है वहां पर अपराधों की संख्या शून्य है। इसके विपरीत जहां पर अपराध को रोकने के लिए माहौल बनाने का काम नहीं हुआ और सिर्फ सख्त सजाओं की व्यवस्था की गई वहां पर अपराधों में वृद्धि होगी ही। इसका उदाहरण हमारा देश भारत है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लिए सामाजिक कानून के अंतर को स्वीकार किया गया है, इसलिए संविधान की धारा 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। निकाह वगैरह को अपने धर्म और रिवाज के अनुसार करने पर जोर दिया गया है। हालांकि, इस्लाम में पुरुष को एक से ज्यादा निकाह करने की इजाजत दी गई है, लेकिन यह सिर्फ इजाजत है। इस्लाम इसका न तो आदेश देता है और न ही प्रोत्साहन। तलाक को रसूल-ए-पाक ने सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

रहमानी ने कहा कि हिंदू धर्म में तो शुद्र को सिर्फ एक पत्नी रखने की अनुमति है। वहीं, वैश्य को दो, क्षत्रिय को तीन और ब्राह्मण को चार पत्नी रखने की अनुमति है। जबकि राजा जितनी चाहे उतनी पत्नी रख सकता है। अफसोस

की बात तो यह है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश का गृह मंत्री अपने ही देश के दूसरे सबसे बड़े धर्म के अनुयायियों के प्रति नफरत और वैमनस्य पर आधारित विचारों की अभिव्यक्ति करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात की घोर निंदा करता है और सभी देशवासियों से अपील करता है कि वे ऐसी बातों में न आएं। यह सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए एक विशेष संप्रदाय को निशाना बनाने की अन्यायपूर्ण कोशिश है।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 मार्च) के संपादकीय का शीर्षक है, "शाह और योगी को शरीयत का दर्द।" संपादकीय में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक इस्लामी शरीयत का दर्द क्यों उठने लगा है? योगी कह रहे हैं कि शरीयत हिंदुस्तान और संविधान से बड़ी नहीं है और देश संविधान से चलेगा। जबकि शाह मुसलमानों हेतु उन शरिया कानूनों को लागू करने के लिए बिल्कुल आजाद हैं, जिनका संबंध अपराध से है। उन्हें किसने रोका है? मुसलमान भला इस पर क्यों ऐतराज करेंगे? क्योंकि ये कानून बहुत हद तक मुसलमानों को सीधे रास्ते पर ले आएंगे। हालांकि, अमित शाह की बात का यह मतलब नहीं है कि मुसलमान पूर्ण रूप से शरिया कानूनों पर अमल करें या उनके लिए शरिया कानूनों को लागू किया जाए। उन्होंने तो बस यूं ही एक फुलझड़ी छोड़ी है। दरअसल शाह देशवासियों के दिलों में यह बात बैठाना चाहते हैं कि मुसलमान बिना वजह शरीयत की बात करता है। वह खुद उस पर अमल नहीं करता है, इसलिए समान नागरिक संहिता पर उसका विरोध भी अर्थहीन है। सच तो यह है कि हर धर्म के विवाह, उत्तराधिकार और तलाक से संबंधित अपने-अपने कानून होते हैं, जिनका सीधा संबंध उस धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति के ईमान और आस्था से होता है। उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है।

समाचारपत्र ने कहा है कि फौजदारी कानून तो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। भारत में भी अपराधों की वही सजा है, जो अन्य लोकतांत्रिक देशों में है। अरब देशों में क्योंकि इस्लामी व्यवस्था लागू है, इसलिए वहां पर चोरी और बलात्कार आदि की सजाएं शरिया के अनुसार दी जाती हैं। अब रही हिंदुस्तान में शरीयत को कार्यान्वित करने की बात तो इसका अधिकार मुसलमानों को भारतीय संविधान ने दिया है। इसके तहत सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर धर्म के अनुयायियों को अपनी आस्था के अनुसार आचरण करने की आजादी दी गई है। समाचारपत्र ने कहा है कि शाह और योगी ऐसी बहकी-बहकी बातें सिर्फ चुनाव को देखते हुए एक विशेष एजेंडे के तहत कर रहे हैं। वैसे दोनों से एक सवाल है कि उन्हें संविधान कब से इतना प्रिय हो गया? क्या उन्हें किसानों और सीएए विरोधी प्रदर्शनों को पुलिस की ताकत से कुचलते हुए कभी संविधान का ध्यान आता है? आखिर बेगुनाहों के घरों पर बुलडोजर संविधान की किस भावना के तहत चलाया जा रहा है?

उर्दू मीडिया के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

मुंबई उर्दू न्यूज (19 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जो संगठन राष्ट्रवाद की विचारधारा के आधार पर सक्रिय होते हैं उनकी नजर में प्रायः दूसरे लोग देशभक्त नहीं होते हैं। देश का सबसे बड़ा सामाजिक, कल्याणकारी और सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी ऐसा ही एक संगठन है। उसे अपने और उससे संबंधित संगठनों के अतिरिक्त और कोई देशभक्त दिखाई नहीं देता है। उसकी राष्ट्रभक्ति का जो पैमाना है उस पर अमल करना

सबके लिए संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मुसलमानों को अपने आप को संघ की नजर में राष्ट्रभक्त साबित करना है तो उन्हें स्वयं को हिंदू कहना होगा। अब सब मुसलमान तो खुद को हिंदू नहीं कह सकते हैं। हां, इंद्रेश कुमार के पाले हुए कुछ दाढ़ी और कुर्ता पजामा वाले ऐसे हैं जो यह काम करते हैं, इसलिए वे उनकी नजर में राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। बाकी के करोड़ों मुसलमान संघ की नजर में कतई राष्ट्रवादी नहीं हैं।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि इन दिनों संघ के निशाने पर किसान हैं। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा उठा रखा है और वे अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यह हरकत संघ को अराजक नजर आती है। संघ ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें किसानों का उल्लेख किया गया है। किसान आंदोलन की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए संघ ने कहा है कि पंजाब में पृथकतावाद पर आधारित आतंकवाद फिर से पैर पसारने लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के बहाने अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। दो बातें खास तौर पर विचारणीय हैं। किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल हैं। सवाल यह है कि खास कर पंजाब पर ही क्यों जोर दिया गया है? जवाब सामने है। पंजाब और किसान को बदनाम करना संघ और उससे संबंधित संगठनों विशेष रूप से भाजपा के लिए आसान है। पंजाब कभी खालिस्तानी आतंकवाद का केंद्र रहा है और बेशुमार सिख इसकी भेंट चढ़े हैं। पंजाब, सिख, आतंकवाद और खालिस्तान के नाम पर आम लोगों को किसान आंदोलन से दूर करना या उसका विरोध करने के लिए तैयार करना संघ को संभव नजर आ रहा है। साथ ही संघ और भाजपा को पंजाब के चुनाव में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने का खतरा मोल लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि संघ और भाजपा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जाट किसानों के वोटों की जरूरत है। भले ही वह उनकी मांगे पूरी न करे। हालांकि, किसान तो सब साथ हैं। चाहे वे पंजाब के हों या फिर हरियाणा,

उत्तर प्रदेश या राजस्थान के। सच यही है कि सरकार ने किसानों की मांगों को बार-बार पैरों तले रौंदा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि किसानों पर अराजकता और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाना पूरे देश के किसानों का अपमान है। संघ की वार्षिक रिपोर्ट क्योंकि चुनाव से कुछ समय पहले आई है, इसलिए इसे भाजपा के चुनावी अभियान का एक हिस्सा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भाजपा किसानों की सुनने को तैयार नहीं है और संघ किसानों की निंदा कर रहा है। यह सिर्फ एक चुनावी प्रचार है। संघ की रिपोर्ट में किसान आंदोलन के अतिरिक्त राम मंदिर, मणिपुर की हिंसा और संदेशखाली की घटना का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में राम मंदिर पर कहा गया है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वर्ष 2024 को हमेशा याद रखा जाएगा। 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक अवसर था, जिसे कभी भुलाया नहीं जाएगा। समाचारपत्र ने कहा है कि एक मस्जिद की हथियाई गई जमीन पर जबरन मंदिर बनाने के लिए निश्चित रूप से यह तिथि सबको याद रहेगी। आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में संदेशखाली की घटना को रूह को झकझोर देने वाली घटना बताया है। इस रिपोर्ट में मणिपुर की हिंसा पर भी चिंता प्रकट की गई है। हालांकि, इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की जो अनगिनत घटनाएं हुई हैं उन पर इस रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। समाचारपत्र ने संघ की इस वार्षिक रिपोर्ट को एकतरफा और पक्षपातपूर्ण बताया है।

सियासत (17 मार्च) के अनुसार आरएसएस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व किसान आंदोलन के जरिए पंजाब में पृथकतावादी आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लोकसभा के चुनाव से पहले आरएसएस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। आरएसएस ने इस रिपोर्ट में देश के ताजा मामलों पर अपनी राय रखी है। आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में किसान आंदोलन की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि पंजाब में पृथकतावाद पर आधारित आतंकवाद फिर से पैर पसारने लगा है और किसान आंदोलन के बहाने अराजकता फैलाने के प्रयास फिर से तेज हो गए हैं। मणिपुर की हिंसा पर चिंता प्रकट करते हुए संघ ने कहा है कि इससे समाज के दो समुदायों मैतेयी और कुकी के बीच अविश्वास की भावना पैदा हुई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (18 मार्च) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा है कि देश में अल्पसंख्यक की अवधारणा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आरएसएस के लिए देश में रहने वाले सभी नागरिक समान है। नागपुर के रेशीम बाग में आरएसएस की त्रिदिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन दत्तात्रेय होसबले को दूसरी बार तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकार्यवाह मनोनीत किया गया है। होसबले ने पत्रकारो को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के एक दशक के कार्यकाल में भारत में जो परिवर्तन आया है उसकी विश्व के कई प्रमुख हस्तियों ने प्रशंसा की है। आने वाले चुनावों में जनता अपने वोटों के माध्यम से सरकार के कामों का मूल्यांकन करेगी। आरएसएस को भी लगता है कि पिछले दस सालों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य हुआ है और देश की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है।

मणिपुर की हिंसा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए होसबले ने कहा कि मणिपुर में हिंसा के दौरान लोगों के दिलों पर जो गहरा जख्म लगा है वह अचानक दूर नहीं होगा। आरएसएस के स्वयंसेवक मैतेयी और कुकी दोनों समुदायों में हैं। पिछले एक साल में संघ ने इन दोनों वर्गों के प्रमुख लोगों से बातचीत करके राज्य में शांति बनाए रखने की कोशिश की है। समान नागरिक संहिता के बारे में दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि

संघ ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। आरएसएस प्रारंभ से ही देशभर में समान नागरिक संहिता को लागू करने का समर्थक रहा है। इस अवसर पर होसबले ने संदेशखाली की घटना की भी निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने देश को अमृतपाल जैसे तत्वों से बचाने पर भी जोर दिया, जो पंजाब में आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे किसान आंदोलन में शामिल होने वाले देशद्रोही ताकतों से सावधान रहें। महिलाओं के सम्मान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को सिर्फ देवी और नौकरानी के रूप में देखना सरासर अन्याय है।

एतेमाद (30 मार्च) के संपादकीय का शीर्षक है, "कश्मीर में आरएसएस के स्कूल।" समाचारपत्र ने कहा है कि आरएसएस की सहयोगी संगठन सेवा भारती की ओर से कश्मीर में 1200 से ज्यादा स्कूल चलाने का दावा किया जा रहा है, जिनमें कुरान की शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को भारतीयता का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है। कश्मीर के मुस्लिम बच्चों को कश्मीरियत और भारतीयता के वास्तविक अर्थों से अवगत करवाया जाएगा। एकल विद्यालय अभियान परियोजना कश्मीर घाटी में सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 85 प्रतिशत बच्चे मुसलमान हैं, जिनको हिंदू संस्कृति और उसकी विचारधारा के जरिए देश प्रेम का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कश्मीर घाटी के 10 जिलों में ऐसे 1250 स्कूल फैले हुए हैं। जबकि बारामूला में ऐसे स्कूलों की संख्या 180 है। यहां पर सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं। कुछ साल पहले तक कश्मीर में आरएसएस से संबंधित किसी भी संस्था की स्थापना करने की कल्पना करना भी संभव नहीं था, मगर अब वहां पर ऐसे स्कूलों की संख्या को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि संघ कश्मीर घाटी में किस तरह से अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। घाटी में आरएसएस के स्कूलों के फैलाव से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कश्मीर में एक विशेष सभ्यता और संस्कृति को फैलाने और उसके अनुरूप बच्चों की मानसिकता को ढालने की बुनियाद तैयार की जा रही है।

समाचारपत्र ने कहा है कि जब से केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 को रद्द किया है तब से राज्य के राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व को कई महीनों तक घरों और जेलों में बंद रखा गया। इस दौरान बाहरी राज्यों से लोगों को यहां पर लाकर बसाने की कोशिश की गई। वहीं, आरएसएस जैसे हिंदू राष्ट्र के समर्थक संगठनों और हिंदुत्ववादियों को भी यहां पर फलने-फूलने का भरपूर अवसर दिया गया। हालांकि, अब राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशें खत्म हो गई हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी धारा 370 को रद्द करने को उचित ठहराया है। जबकि धार्मिक नेतृत्व अब भी बदहाल है। सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है और मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी खत्म नहीं की जा रही है। हर रोज श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। सूचना यह है कि कश्मीर के मुसलमान पवित्र रमजान महीने में तरबूज खरीदने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इस फल को फिलिस्तीनियों से जोड़ दिया

गया है। देश के बाकी लोगों और विशेष रूप से मुसलमानों को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में क्या हो रहा है? इसका कारण यह है कि देश के मुसलमानों ने प्रारंभ से ही कश्मीर समस्या की संवेदनशीलता के कारण इससे खुद को दूर रखा है। अब कश्मीर बदल गया है। संविधान की विशेष धारा के रद्द किए जाने के साथ ही कश्मीर हिंदुस्तान से जुड़ गया है, इसलिए कश्मीरियों को अजनबी नहीं समझना चाहिए। इनके दीनी और धार्मिक मामलों में हिंदुस्तान के धार्मिक मुस्लिम संगठनों को विशेष रुचि लेनी चाहिए।

समाचारपत्र ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि जिस तरह से आरएसएस ने राष्ट्रवाद और कश्मीरियत के नाम पर घाटी में अपने स्कूलों का जाल फैलाना शुरू किया है उसी तरह से देश के मुस्लिम संगठनों को भी वहां पर अपने इस्लामी मदरसों को स्थापित करना चाहिए ताकि नई नस्ल की आस्था की रक्षा की जा सके, वरना आने वाले दिनों में कश्मीर के बच्चे होली और ईद में कोई अंतर महसूस नहीं करेंगे। आरएसएस के इन स्कूलों को मुस्लिम अध्यापकों की ओर से चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि वे कश्मीरी बच्चों के हाथों में पत्थरों के बजाय किताबें दे रहे हैं। इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम कश्मीरी और उर्दू है। दावों के अनुसार इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले कश्मीरी बच्चों को वास्तविक हिंदुस्तानी बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि बच्चों को सच्चा हिंदुस्तानी बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि परेशानी यह है कि इन बच्चों को जो भी सिखाया या बताया जा रहा है वह सब आरएसएस की निगरानी में हो रहा है। आरएसएस गांधी को नहीं, बल्कि सावरकर को अपना नेता मानता है।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि सेवा भारती द्वारा इस परियोजना के लिए जिन शिक्षकों का चयन किया गया है उनमें से कई लोग 5-12 सालों से इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। आरएसएस से प्रशिक्षित ये शिक्षक बच्चों को किस तरह से हिंदुस्तानी बनाएंगे यह कहने की जरूरत नहीं है। आरएसएस किस तरह के मुसलमानों को असली हिंदुस्तानी समझता है यह जानने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषणों का अध्ययन ही काफी है। आरएसएस ने इन स्कूलों को चलाने के लिए ऐसे युवकों को चुना है जो कश्मीर के पुराने माहौल से परेशान हैं और वे शांत जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। यहां पर बच्चों को राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कश्मीरियत भी पढ़ाया जा रहा है और उन्हें घाटी का बदला हुआ इतिहास भी सिखाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कश्मीर घाटी के 480 गांवों में फैले हुए इन स्कूलों को चलाने के लिए देशी और विदेशी स्रोतों से सालाना एक अरब 19 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें 44 करोड़ विदेशों से आए हैं। अंदाजा लगाने की जरूरत है कि आरएसएस किस तरह से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्यरत है।

मॉस्को में हुए आतंकी हमले में सैकड़ों मरे

सहाफत (24 मार्च) के अनुसार रूस की राजधानी मॉस्को स्थित क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले में 149 लोग मारे गए और 185 घायल हो गए। विदेशी संवाद समितियों के अनुसार सैनिक वर्दी पहने आतंकियों ने क्रोकस सिटी हॉल में अंधाधुंध फायरिंग की और दस्ती बमों से भी हमला किया। पिछले कई सालों में रूस में इतनी बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई थी। इससे पहले 2004 में रूस के एक स्कूल पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें सैकड़ों बच्चों सहित एक हजार से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इस हमले में सैकड़ों बच्चों सहित लगभग 350 लोग मारे गए थे। जिस हॉल में यह हमला हुआ उसमें रॉक बैंड पिकनिक का कॉन्सर्ट चल रहा था। इस आतंकी हमले के बाद वहां पर चारों ओर आग फैल गई। हमले के समय इस हॉल में छह हजार से अधिक लोग मौजूद थे।

अमेरिकी मीडिया के अनुसार एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आतंकवादी हॉल में मौजूद दर्शकों पर बीस मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे। रूसी मीडिया के अनुसार इस हमले के बाद मॉस्को में आयोजित सभी समारोह रद्द कर दिए गए हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने विश्वभर के देशों से अपील की है कि वे इस आतंकी हमले की निंदा करें। रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के प्रमुख ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया कि इस हमले के सिलसिले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि यह एक आतंकी हमला था और इस हमले के पीछे जिनका भी हाथ है उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

रूसी मीडिया के अनुसार इस हमले की जिम्मेवारी इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। इस आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर इस बात की पुष्टि की है कि यह हमला उसके जिहादियों ने किया था। रूस की एक सरकारी एजेंसी ने इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया है। जबकि यूक्रेन के

राष्ट्रपति के सलाहकार ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि इस हमले से यूक्रेन का कोई संबंध नहीं है। हमारा युद्ध रूस और उसकी सेना से है और इसका फैसला युद्ध भूमि में होगा। ब्रिटिश संवाद समिति रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने इस महीने की शुरुआत में ही रूस सरकार को यह अवगत कराया था कि उसकी राजधानी में शीघ्र ही कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है।

भारत, अमेरिका और चीन सहित अनेक देशों ने मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 'हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूस की सरकार और वहां की जनता के साथ एकजुटता से खड़ा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन हर तरह के आतंकवाद का विरोधी है और वह इस हमले की निंदा करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इस हमले की निंदा की है। यूरोपीय यूनियन ने मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा है कि यूरोपीय यूनियन नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह के हमले की निंदा करती है और हम इस दुख की घड़ी में रूसी नागरिकों के साथ हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस हमले की निंदा की है और इस हमले में प्रभावित होने वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मासूम लोगों पर हुआ यह हमला शर्मनाक है और इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। कई अन्य देशों ने भी इस हमले की निंदा की है।

सियासत (26 मार्च) के अनुसार मौके पर पकड़े गए चार आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इन आरोपियों ने अदालत में यह स्वीकार किया है कि इस हमले में उनका हाथ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी गुप्तचर विभाग ने तीन आरोपियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अदालत में पेश किया था। जबकि चौथे आरोपी को घायलावस्था में व्हीलचेयर पर अदालत में पेश किया गया था। चारों आरोपियों की पहचान शम्सीदीन फरीदुनी, दालेरदजॉन मिर्जोयेव, सैदाकरामी मुरोदाली राचाबलीजोडा और मुहम्मद सोबिर फैजोव के रूप में हुई है। टेलीग्राम पर एक अदालती बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और उनका संबंध ताजिकिस्तान से है। इन्हें 22 मई तक हिरासत में रखा जाएगा। रूसी मीडिया के अनुसार सात अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है।

उर्दू टाइम्स (26 मार्च) के अनुसार बीबीसी का कहना है कि हालांकि इस हमले की जिम्मेवारी इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ले ली है, मगर इसके बावजूद बिना कोई ठोस सबूत के रूस की सरकार ने इस हमले के लिए यूक्रेन को दोषी ठहरा दिया है। जबकि यूक्रेन सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है। इस आतंकी हमले के बाद रूस ने राष्ट्रव्यापी शोक मनाने की घोषणा की है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (26 मार्च) के अनुसार इस हमले में मरने वालों की संख्या में और भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि अस्पताल में दाखिल घायलों में से 100 से अधिक लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है।

एतेमाद (26 मार्च) के अनुसार अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे आईएसआईएस के खुरासान चैप्टर का हाथ है।

एतेमाद (27 मार्च) के अनुसार इस हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सुरक्षा अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह के इस मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। हमें मालूम है कि इस हमले के पीछे धर्मांध मुसलमानों का हाथ है और उनके खिलाफ विश्वभर के मुसलमान सैकड़ों वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन का समर्थन किया है वह हमारी नजर में है। हम जानते हैं कि रूस और उसकी जनता पर यह खूनी जुल्म किसने किया है और इस हमले की साजिश रचने वाले कौन हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या धर्मांध संगठनों ने यह हमला मध्य पूर्व में रूस की दिलचस्पी को देखते हुए करवाया है? पुतिन ने पूछा कि क्या कारण है कि दीनदार मुसलमान होने का दावा करने वाले रमजान के महीने में इस तरह की हरकतें करते हैं? इससे किसको फायदा होगा? उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद हमलावरों ने यूक्रेन भागने की कोशिश क्यों की थी? क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है? सवाल यह है कि आतंकवादी इस्लाम के पीछे कौन हैं?

सियासत (28 मार्च) के अनुसार रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के प्रमुख अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव ने दावा किया है कि इस हमले के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन का हाथ है। उन्होंने सवाल किया कि हमलावरों को यूक्रेन भागने का निर्देश देने वाले कौन थे? उन्होंने कहा कि हमें यह भी जानकारी है कि इन हमलावरों का यूक्रेन में जोरदार स्वागत करने की तैयारी चल रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूक्रेन मध्य पूर्व में इस्लामी जिहादियों को प्रशिक्षण दे रहा है।

पाकिस्तान के हवाई हमले में आठ अफगान मरे

एतेमाद (19 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान के एक सरकारी प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने वायु सीमा का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान के दो राज्यों में हवाई हमले किए, जिसमें कम-से-कम आठ लोग मारे गए। हालांकि, अफगानिस्तान के इस आरोप पर अब तक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय या सेना की ओर से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह हमला रात में किया गया और इस हमले में मरने वाले सभी महिलाएं और बच्चे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि अफगानिस्तान में शरण लेने वाले

आतंकियों ने उत्तरी वजीरिस्तान में हमले किए थे, जिसमें पाकिस्तानी सेना के नौ लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा था कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर किसी ने पाकिस्तान की भूमि पर आतंकी हमला किया तो हम उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने दावा किया था कि उत्तरी वजीरिस्तान में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी हाफिज गुल बहादुर गुट ने ली है।

अफगान प्रवक्ता मुजाहिद ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की वायु सीमा में घुसकर किए गए इस हमले के गंभीर परिणाम होंगे। प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सामान्य संबंध बनाने के जो प्रयास किए जा रहे थे उसे इन हमलों से गहरा झटका लगा है। गौरतलब है कि हाल ही में इसी उद्देश्य से एक पाकिस्तानी उच्चाधिकारी ने कंधार के गवर्नर मुल्ला मुहम्मद शिरीन अखुंद से मुलाकात की थी। अखुंद की गिनती तालिबान के प्रमुख नेताओं में की जाती है।

एतेमाद (22 मार्च) के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने 18 मार्च को जो कार्रवाई की थी वह अफगान जनता और वहां की सेना के खिलाफ नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में शरण लेने वाले टीटीपी के आतंकियों के खिलाफ थी। उन्होंने दावा किया कि ये हमले गुप्तचर सूत्रों से प्राप्त जानकारी के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने किए थे। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में शरण लेने वाले आतंकवादी अड्डों को तबाह करना था। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में अफगान सरकार को एक विरोध पत्र भी भेजा था, जिसमें अफगानिस्तान में शरण लेने वाले पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों का पूरा विवरण दिया गया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने दावा किया कि हमने बार-बार अफगानिस्तान सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उसकी भूमि पर शरण लेने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे, मगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की।

उर्दू टाइम्स (20 मार्च) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने उसकी सुरक्षा जांच चौकी पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए अफगानिस्तान में शरण लेने वाले पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के

प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है और आतंकवाद के विषय पर उससे हमारा निरंतर संपर्क बना रहता है।

सियासत (22 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सैन्य भिड़ंत नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद उस कॉरिडोर को बंद कर सकता है जो उसने भारत के साथ व्यापार करने के लिए अफगानिस्तान को दे रखा है। उन्होंने कहा कि जब अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मनों जैसे व्यवहार करता है तो उसे हम व्यापार करने की सुविधा क्यों दें? उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा पर शरण लेने वाले आतंकियों के अड्डों को तबाह करने में अफगानिस्तान सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है।

उर्दू टाइम्स (22 मार्च) के अनुसार कंधार के एक बैंक परिसर में हुए आतंकी हमले में तीन लोग मारे गए और 12 घायल हो गए। अफगानिस्तान सरकार के उप प्रवक्ता इनामुल्लाह समंगानी ने इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने यह संदेह व्यक्त किया है कि इस हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ हो सकता है। ■

अमेरिकी मुसलमानों द्वारा एक अरब 80 करोड डॉलर की जकात

अखबार-ए-मशरिक (22 मार्च) के अनुसार पूरे अमेरिका में मुसलमान रमजान के मौके पर रोजे रखते हैं और वे धर्मार्थ संस्थानों को जेब खोलकर चंदा भी देते हैं। यह चंदा गाजा में भी भेजा जाता है। हालांकि, उसका एक बड़ा भाग मुस्लिम जरूरतमंदों की सहायता के लिए अमेरिका में ही खर्च किया जाता है। इंडियाना विश्वविद्यालय में मुस्लिम धर्मार्थ इनिशिएटिव के निदेशक शारिक सिद्दीकी का कहना है कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों के बारे में एक भ्रांति है कि वे अपनी पूरी कमाई विदेश भेज देते हैं। हालांकि, हकीकत यह है कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमान प्रत्येक वर्ष औसतन चार अरब 30 करोड़ डॉलर जकात में देते हैं। इसका 85 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका में ही खर्च किया जाता है। जबकि शेष राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों द्वारा संचालित संगठनों को जनकल्याण के कार्यों के लिए दिया जाता है। जबकि 40 प्रतिशत हिस्सा ऐसे धर्मार्थ संस्थानों को दिया जाता है, जिनका संचालन गैर-मुसलमान करते हैं।

गौरतलब है कि अमेरिका में 35 लाख मुसलमान हैं। शारिक सिद्दीकी ने दावा किया कि जकात की राशि का अधिकांश हिस्सा गैर-मुसलमानों की तुलना में मुसलमानों को इसलिए दिया जाता है, क्योंकि आम मुसलमान इस्लामिक आस्था में विश्वास रखने वालों को प्राथमिकता देता है। अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी फाउंडेशन के संस्थापक मुही ख्वाजा ने दावा किया कि मुसलमान अनेक तरीकों से अमेरिकी समाज की सेवा कर रहे हैं। रमजान में मुसलमान उदारतापूर्वक दान देते हैं। रोजा और जकात इस्लाम के पांच स्तंभों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में हर वर्ष अमेरिकी मुसलमान एक अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर जकात में देते हैं। इस्लाम में रमजान में जकात देने का विशेष महत्व है।

मुसलमानों के एक बड़े धर्मार्थ संस्थान इस्लामिक रिलीफ यूएसए का दावा है कि इस वर्ष के रमजान महीने में दस लाख लोगों को बना बनाया खाना उपलब्ध कराया गया है। मुस्लिम एड यूएसए के सीईओ अजहर अजीज के अनुसार रमजान के दौरान उनके संगठन द्वारा दस लाख डॉलर के खाद्य पदार्थ गरीबों में बांटे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त गरीबों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी जकात की धनराशि का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अन्य मुस्लिम

संगठन ने दावा किया है कि उनके संगठन द्वारा अमेरिका के 42 राज्यों में रहने वाले मुस्लिम जरूरतमंदों को आवास और खाने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस संगठन से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि जब वे पहली बार भारत से अमेरिका आए तो वे इस भ्रांति का शिकार थे कि अमेरिका में कोई गरीब नहीं है। हालांकि, बाद में जब उन्होंने गरीबों के कल्याण के क्षेत्र में काम किया तो उन्होंने यह महसूस किया कि अमेरिका में भी जरूरतमंदों की कमी नहीं है।

पाकिस्तान में चीनियों पर हमले

एतेमाद (27 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में हुए एक आत्मघाती हमले में एक वाहन में सवार पांच चीनी मारे गए। मालाकंद के डीआईजी मोहम्मद अली ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि चीनी इंजीनियरों की एक टीम इस्लामाबाद से दासू की ओर जा रही थी। रास्ते में आत्मघाती हमलावरों ने बारूद से भरी हुई एक कार को उनकी बस से टकरा दिया, जिसके कारण पाकिस्तानी वाहन चालक सहित सभी चीनी इंजीनियर मारे गए। इससे पहले भी इस क्षेत्र में चीनी इंजीनियरों को आतंकवादी चार बार अपना निशाना बना चुके हैं। इस घटना के बाद इस पूरे क्षेत्र को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। आतंकियों की सघन तलाश की जा रही है।

इंकलाब (28 मार्च) के अनुसार इस हमले पर टिप्पणी करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान और चीन के मैत्रीपूर्ण संबंधों में दरार पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं वे कभी सफल नहीं होंगे। प्रवक्ता ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में इस बात की पुष्टि की है कि दासू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी

इंजीनियरों को इस आतंकी हमले का निशाना बनाया गया है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से यह भी मांग की है कि चीनी नागरिक पाकिस्तान में जिन स्थानों पर विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं में काम कर रहे हैं वहां पर उन्हें कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त चीनी प्रवक्ता ने पाकिस्तान में रहने वाले अपने सभी नागरिकों को भी यह निर्देश दिया है कि वे सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा में कोई कोताही न करें। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास जाकर मृतक चीनियों के परिवारजनों से संवेदना प्रकट की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चीन पाकिस्तान के नवनिर्माण में अपना योगदान जारी रखेगा।

सियासत (27 मार्च) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान के तुरबत स्थित नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसे सेना ने विफल बना दिया है। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलियां चलती रहीं। इसके परिणामस्वरूप सेना ने चारों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पकिस्तान सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि इस हमले में दो पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। इस हमले की जिम्मेवारी प्रबिंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने ली है। गौरतलब है कि इससे पांच दिन पहले भी चीन की सहायता से बनाई जा रही बंदरगाह ग्वादर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें दो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। जबकि सेना ने आठ आतंकियों को गोली से उड़ा दिया था। पकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों का नामोनिशान मिटा कर ही दम लेंगे।

सहाफत (28 मार्च) ने अपने संपादकीय में पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर इससे पहले भी अनेक बार हमले हो चुके हैं। इन हमलों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जाता है। यह संगठन इतना ताकतवर है कि वह पाकिस्तानी सेना को निरंतर चुनौती दे रहा है। इस बात का भी आरोप लगाया जाता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को कुचलने के नाम पर आम जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों में यह भावना पनप रही है कि पाकिस्तान ने चीनियों को इस क्षेत्र की खनिज संपदा को लूटने की खुली छूट दे दी है। स्थानीय जनता इसका विरोध कर रही है।

समाचारपत्र ने कहा है कि पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि उसने इन परियोजनाओं की आड़ में चीन से भारी मात्रा में आर्थिक सहायता ली है। पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहा है और चीन पर उसकी आर्थिक निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती करके भारत पर अपना दबाव बनाना चाहता है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर जो

हमले किए हैं उससे भी इन दोनों देशों में काफी तनाव पैदा हो गया है। दरअसल पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर दोहरा रवैया अपनाए हुए है। एक ओर तो वह आतंकवादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी ओर, उसके अपने ही देश के अंदर आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस पर नियंत्रण करना उसके लिए संभव नहीं है।

अफगानिस्तान में बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (26 मार्च) के अनुसार अफगान तालिबान की गलत आर्थिक नीतियों के कारण अफगानिस्तान में गरीबी में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इसका शिकार वहां के बच्चे हो रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करने पर विवश हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ऐसे बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जो आर्थिक कारणों से स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहे हैं। बिगड़ते हुए आर्थिक हालात के कारण उन्हें मजबूरन मजदूरी करनी पड़ रही है। रमजान के दौरान काबुल में ईंटों के भट्टों, कालीनों की बुनाई, निर्माण कार्यों और खेती बाड़ी में मेहनत-मजदूरी करने वाले बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हजारों बच्चे सड़कों पर कचरा चुनते हैं और भीख मांगते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वे के अनुसार तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में बाल मजदूरों की संख्या में दस लाख की वृद्धि हुई है। सेव द चिल्ड्रेन, अफगानिस्तान के निदेशक अरशद मलिक ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की एक सर्वे के अनुसार तालिबान के सत्ता में आने के बाद बाल मजदूरों की संख्या में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिकांश बच्चों को अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय बाल इमरजेंसी फंड ने 2023 को अफगान बच्चों के लिए तबाह करने वाला साल बताया था। इस सर्वे के अनुसार अफगानिस्तान के एक तिहाई बाल मजदूर खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे हैं और तालिबान के सत्ता में आने के बाद इनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई है। तालिबान सरकार ने महिलाओं के नौकरी करने पर जो प्रतिबंध लगाया है उसके कारण भी बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस सर्वे में इस बात पर चिंता प्रकट की गई है कि मादक पदार्थों के तस्कर बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्धविराम का प्रस्ताव मंजूर

इंकलाब (27 मार्च) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहली बार गाजा में फौरन युद्धविराम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अमेरिका ने पहली बार गाजा में युद्धविराम के प्रस्ताव को वीटो नहीं किया। उसने इस प्रस्ताव के लिए हुए मतदान में भाग नहीं लिया। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गाजा में युद्ध को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद में अनेक बार प्रस्ताव को पास करने का प्रयास किया गया था, मगर हर बार अमेरिका द्वारा इसे वीटो किए जाने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। अब सुरक्षा परिषद में पेश इस प्रस्ताव का 15 में से 14 देशों ने समर्थन किया है।

अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव को वीटो न करने के कारण इजरायल और अमेरिका के बीच मतभेद पैदा होने की संभावना है। इजरायल ने अमेरिका के इस रूख पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया है कि युद्धविराम को तेजी से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें विफल रहते हैं तो यह अक्षम्य होगा। प्रस्ताव में गाजा में युद्धविराम के साथ-साथ हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी इजरायली नागरिकों की बिना शर्त और तुरंत रिहाई करने की भी मांग की गई है। ताजा जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव के पारित होने के बावजूद इजरायल और हमास के युद्ध में कोई कमी नहीं आई है। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई जारी है। दूसरी ओर, अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि इस प्रस्ताव पर मतदान में भाग न लेना उसकी नीति में किसी परिवर्तन का संकेत नहीं है। हालांकि, अमेरिका ने पिछले कुछ

समय से इजरायल के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है। इजरायल ने अमेरिकी रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को रद्द कर दिया है।

एतेमाद (26 मार्च) के अनुसार इस प्रस्ताव में यह मांग की गई है कि पवित्र रमजान महीने में गाजा में फौरन युद्धविराम लागू किया जाए ताकि वहां पर स्थाई तौर पर युद्ध को रोका जा सके। गौरतलब है कि यह प्रस्ताव अल्जीरिया की ओर से पेश किया गया था और इसको तैयार करने में स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड ने भी हिस्सा लिया था। अमेरिका इससे पहले कई बार युद्धविराम के प्रस्ताव को वीटो कर चुका है। हाल ही में उसके रूख में कुछ परिवर्तन आया है और उसने रफा में इजरायल द्वारा सैन्य ऑपरेशन शुरू करने का विरोध किया है। इससे पहले अमेरिका ने भी युद्धविराम का एक प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पेश करने की कोशिश की थी, मगर इस प्रस्ताव को रूस और चीन ने वीटो कर दिया था। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि प्रस्ताव में क्योंकि हमास की निंदा नहीं की गई है, इसलिए हमने मतदान में भाग नहीं लिया। इजरायल के प्रधानमंत्री द्वारा अपने दो वरिष्ठ सलाहकारों के अमेरिका दौरे को रद्द करने पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री के फैसले से हमें घोर निराशा हुई है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र एक बेकार संस्था हो चुकी है। जबकि ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने इस बात पर दुख प्रकट किया है कि इस प्रस्ताव में हमास के हमले की निंदा नहीं की गई है।

फिलिस्तीनी संगठन फतह की केंद्रीय कमेटी के सदस्य साबरी सैदाम ने कहा है कि सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव सही दिशा में एक कदम है। इससे फिलिस्तीन में कत्लेआम रूक सकता है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव की सराहना की है और कहा है कि इससे बेघर लोगों की वापसी का रास्ता खुलेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच, संयुक्त राष्ट्र के निदेशक लुईस चार्बोन्यू ने इजरायल से मांग की है कि वह इस प्रस्ताव को फौरन लागू करे। अल्जीरिया के प्रतिनिधि ने भी इस प्रस्ताव के पास होने का स्वागत किया है। जिन देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया उनमें सुरक्षा परिषद के चार स्थाई सदस्यों के अतिरिक्त अल्जीरिया, गिनी, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।

उर्दू टाइम्स (27 मार्च) के अनुसार इजरायल ने युद्धविराम के प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। ताजा सूचना के अनुसार इजरायल के वायुयानों और तोपखानों ने गाजा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों पर भीषण बमबारी का सिलसिला जारी रखा है। इस हमले में लोगों के घरों, सड़कों और बेघर लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं। इजरायली सेना गाजा के अल-शिफा अस्पताल परिसर के रास्ते से बेघर लोगों के एक शिविर में घुसी और उन्होंने लाउडस्पीकर से एक घर में छिपे हुए लोगों को आदेश दिया कि वे तुरंत अपने हथियार डाल दें। इसके बाद इजरायली तोपखानों ने इस क्षेत्र में अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त इजरायली सेना ने रफा के पूर्वी क्षेत्र को भी अपना निशाना बनाया और खान यूनिस क्षेत्र में भी अंधाधुंध बमबारी की। इजरायली सेना ने कई गांवों और शरणार्थी शिविरों पर भी गोले बरसाए।

एतेमाद (27 मार्च) के अनुसार इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम अमेरिका को यह बता देंगे कि इजरायल हमास के खिलाफ हर जगह कार्रवाई करेगा। जब तक हमास इजरायली बंधकों को बिना शर्त रिहा नहीं करता तब तक हमारी बमबारी जारी रहेगी। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया

है कि अमेरिका के रवैये से यह साफ है कि उसने अपने पुरानी नीति में परिवर्तन कर लिया है। इसके कारण इजरायल द्वारा हमास के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को नुकसान पहुंचेगा और इससे हमास द्वारा बंधक बनाए गए 130 व्यक्तियों की रिहाई का मामला भी खटाई में पड़ गया है। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा है कि युद्धविराम के इस प्रस्ताव के बावजूद हम अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेंगे और हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। हमें इस प्रस्ताव की कोई परवाह नहीं है।

एतेमाद (28 मार्च) ने अपने संपादकीय में इस बात की निंदा की है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्धविराम के प्रस्ताव के पारित होने के बावजूद गाजा में इजरायल के आक्रामक रूख में कोई नरमी नहीं आई है। इस प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा वीटो न किए जाने से इस बात की पुष्टि होती है कि विश्व में इजरायल के खिलाफ बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए अमेरिका की इजरायल के प्रति नीति में परिवर्तन हुआ है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इजरायली हमलों में अब तक 32 हजार फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जबकि इजरायली सेना का दावा है कि सात अक्टूबर को हमास द्वारा इजरायल पर हमले में हुई 1200 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए अब तक हमास से संबंधित 10 हजार लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इजरायली सेना ने यह भी सफाई दी है कि वह यह प्रयास कर रही है कि इस हमले में आम नागरिक प्रभावित न हों और हमास के कैडर और उसके अड्डों को ही निशाना बनाया जाए।

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि इजरायल गाजा को तबाह करने के लिए अब तक 25 हजार टन बारूद का इस्तेमाल कर चुका है, जो दो परमाणु बमों के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल यह साबित करने में विफल रहा है कि गाजा में मारे गए लोग हमास के लड़ाके थे। ब्रसेल्स में यूरोपीय काउंसिल के अधिवेशन के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्पेन आयरलैंड, माल्टा और स्लोवेनिया के साथ मिलकर फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता देने के लिए तैयार है। संपादकीय में कहा गया है कि यह कितनी दर्दनाक बात है कि एक स्वशासी राज्य के फिलिस्तीनी नागरिक अपने ही देश में मारे जा रहे हैं और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दुनियाभर के मानवाधिकार संगठन, जो इस्लामी देशों में होने वाली किसी भी घटना पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं वे भी निहत्थे फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेना के हमलों पर मूकदर्शक बने हुए हैं।

इंकलाब (29 मार्च) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस सप्ताह उनके वरिष्ठ सलाहकारों के अमेरिका दौरे को रद्द किए जाने का यह स्पष्ट संकेत है कि इजरायल गाजा में युद्धविराम के लिए बढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने जो रूख अपनाया है वह बहुत ही खराब कदम है और सबसे बुरी बात तो यह है कि अमेरिका का यह रवैया हमास को सख्त रूख अपनाने और इजरायली बंधकों को रिहा न करने के लिए प्रेरित करेगा। समाचारपत्र ने कहा है कि कतर की राजधानी दोहा में इजरायल और हमास के बीच जो

गुप्त वार्ता का सिलसिला चल रहा था उसका इजरायल ने बहिष्कार करने की घोषणा की है।

अमेरिकी प्रवक्ता ने एक पत्रकार के प्रश्न के उत्तर में बताया कि इजरायल ने रफा में जो सैन्य कार्रवाई जारी रखने की घोषणा की है उसका लक्ष्य हमास की बाकी लीडरशिप को खत्म करना हो सकता है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने दुनियाभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे फिलिस्तीन की ओर मार्च करें। उन्होंने अरब मीडिया को जारी एक ऑडियो बयान में कहा है कि हम अपील करते हैं कि जॉर्डन, लेबनान, पाकिस्तान और मलेशिया सहित सभी अरब और इस्लामी देशों के मुसलमान फिलिस्तीन की ओर मार्च करें। यह मार्च कल से नहीं, बल्कि आज और अभी शुरू करें। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल-अक्सा को आजाद करवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा और प्रतिबंधों की परवाह न करें।

सऊदी रक्षा मंत्री को मिला निशान–ए–पाकिस्तान सम्मान

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के ऐवान-ए-सद्र (राष्ट्रपति भवन) में आयोजित एक विशेष समारोह में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'निशान-ए-पाकिस्तान' से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सऊदी रक्षा मंत्री को निशान-ए-पाकिस्तान का सम्मान पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री अपनी विशेष प्रतिभा और इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए विश्वविख्यात हैं। उनके नेतृत्व में सऊदी अरब में आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं वह प्रशंसनीय हैं। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने एक संदेश में कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच प्राचीन काल से ही सामरिक साझेदारी है, जिसने इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा की है। इस अवसर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे।

पाकिस्तान दिवस के मौके पर इस्लामाबाद में आयोजित एक विशेष सैन्य परेड में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने विशेष अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ, सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ और वायुसेना के प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। गौरतलब है कि पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। साल 1940 में इसी दिन लाहौर में पाकिस्तान के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस मौके पर राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग की थी और आखिरकार हमने इसे पाकर ही चैन लिया। हम सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन का विशेष रूप से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है।

टिप्पणी: सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध पाकिस्तान की स्थापना के बाद से ही बेहद मजबूत रहे हैं। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसे अपनी सेना में पाकिस्तानियों को भर्ती करने की सुविधा पाकिस्तान सरकार ने दे रखी है। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब के शाही परिवार के सभी रक्षक पाकिस्तानी मूल के हैं। सऊदी अरब में इस समय पाकिस्तानी सेना के दो ब्रिगेड भी मौजूद हैं, जिनका सारा खर्च सऊदी सरकार वहन करती है।

हूतियों द्वारा हिंद महासागर की भी नाकेबंदी करने का ऐलान

एतेमाद (17 मार्च) के अनुसार यमन की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता ने यह घोषणा की है कि अब हूती लाल सागर और अरब सागर के अतिरिक्त हिंद महासागर में भी इजरायल और उसके समर्थक देशों के जलयानों को अपना निशाना बनाएंगे। यमन की राजधानी साना में एक सैन्य परेड को संबोधित करते हुए जनरल याह्या सारी ने घोषणा की कि लाल सागर में इजरायल के एक जलयान और एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से हिंद महासागर में भी तीन अमेरिकी और इजरायली जलयानों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि हूतियों ने इजरायल के एक जलयान 'पैसिफिक 01' और अमेरिकी नौसेना के कई ध्वंसक जलयानों के अतिरिक्त अनेक मिसाइलों व ड्रोनों को भी अपना निशाना बनाकर उन्हें तबाह किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के मार्ग से जो इजरायल और उनके समर्थक देशों के जलयान जाते हैं उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। हम यह चेतावनी देते हैं कि इन देशों के जलयान केप ऑफ गुड होप के रास्ते से न जाएं, वरना उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि

जब तक गाजा में इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयां जारी रहेंगी तब तक लाल सागर, बाब अल-मंदेब, अरब सागर और हिंद महासागर में हूतियों की कार्रवाई बंद नहीं होगी।

एक अन्य समाचार के अनुसार पिछले सप्ताह हूतियों और उनके समर्थक संगठनों की एक संयुक्त बैठक में यह फैसला किया गया कि ये सभी संगठन इजरायल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई जारी रखेंगे। इस बैठक में हूती विद्रोहियों के अतिरिक्त हमास, इस्लामिक जिहाद और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन के वरिष्ठ कमांडरों ने हिस्सा लिया। एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद डैन सुलिवन ने बाइडेन प्रशासन से अपील की है कि वह ईरान को यह धमकी दे कि अगर हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर अपने हमले जारी रखते हैं तो अमेरिका ईरान के जलयानों को समुद्र में डूबो देगा। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका इस संबंध में सख्त कार्रवाई नहीं करता तब तक अमेरिका के जहाजों पर हूतियों के हमले को रोक पाना संभव नहीं होगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 मार्च) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका विरोधी हर कार्रवाई के लिए ईरान को दोषी ठहराना सरासर गलत है। मध्य पूर्व में अमेरिका विरोधी जो संगठन सक्रिय हैं, वे स्वतंत्र हैं। इन समूहों में फिलिस्तीनी समूह हमास, लेबनान की हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया के विभिन्न मिलिशिया संगठन और यमन के हूती विद्रोही शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का विरोध करते हैं और इन मिलिशिया समूहों को हर तरह की सहायता भी देते हैं। नवरोज (ईरानी नव वर्ष) के मौके पर ईरानियों को संबोधित करते हुए अली खामेनेई ने कहा कि ये सभी समूह स्वतंत्र रूप से अपनी कार्रवाई करते हैं, मगर अमेरिका उनकी कार्रवाईयों को ईरान पर मढ़ देता है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिरोधी समूहों के दबाव के कारण अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व के सभी देशों से बोरिया-बिस्तर बांधकर वापस जाना होगा। हम इजरायल के खिलाफ लड़ने वाली किसी भी शक्ति का पूरी तरह से समर्थन करेंगे।

सियासत (23 मार्च) अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसके दो युद्धपोतों ने अनेक बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया है। ये मिसाइल हूतियों ने यमन से दागे थे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस वर्ष अब तक यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के जहाजों पर 50 हमले किए हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

रोजनामा सहारा (18 मार्च) के अनुसार लाल सागर में हूतियों के बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए अमेरिकी सेना ने यह घोषणा की है कि ईरान द्वारा हूतियों को की जा रही हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका यह समझता है कि हूती निकट भविष्य में उसके लिए भारी खतरा बन सकते हैं, इसलिए उसका यह प्रयास है कि हूतियों और ईरान से जुड़े हुए अन्य संगठनों को ईरानी स्रोतों द्वारा सप्लाई किए जा रहे हथियारों को हर कीमत पर रोका जाए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता

ने यह दावा किया कि पिछले साल के नवंबर महीने से अब तक हूती विद्रोही अमेरिका के कम-से-कम 105 जहाजों को अपना निशाना बना चुके हैं।

इंकलाब (28 मार्च) के अनुसार अमेरिका ने ईरान समर्थक गुटों हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह और कुद्स फोर्स से जुड़े छह संगठनों और दो जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो लाइबेरिया, भारत, वियतनाम, लेबनान और कुवैत में स्थित थे या इन देशों में पंजीकृत थे। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि इन आतंकी गुटों को अवैध रूप से जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसे हर कीमत पर रोका जाए। इनमें वे संगठन भी शामिल हैं, जो सीरिया की बशर अल-असद सरकार का समर्थन करते हैं और उसे अवैध रूप से आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाते हैं।

रोजनामा सहारा (29 मार्च) के अनुसार लाल सागर जलमार्ग से होने वाला व्यापार विश्व व्यापार का 12 प्रतिशत है। वहीं, भारत का 200 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार स्वेज नहर और लाल सागर के रास्ते से होता है। यूरोप के लिए भारत का 80 प्रतिशत सामान भी इसी रास्ते से जाता है। अब क्योंकि इस जलमार्ग को हूतियों ने अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए व्यापारिक जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के मार्ग से जाना पड़ रहा है। इससे यातायात के खर्चे में भारी वृद्धि हो रही। हूतियों ने हाल ही में यमन में कई भारतीय जलयानों को भी अपना निशाना बनाया है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना ने सुरक्षा के लिए अरब सागर में जलयानों को काफी संख्या में तैनात किया है। इसके अतिरिक्त नौसेना से जुड़े हुए जासूसी विमानों को भी वहां पर तैनात किया गया है।

इंकलाब (29 मार्च) के अनुसार यमन में हूतियों और वहां के सरकारी सैनिकों के बीच हुई झड़पों में दस से ज्यादा लोग मारे गए और कई दर्जन लोग घायल हो गए। ये झड़पें बाब गलाब क्षेत्र में फ्रंटलाइन पर मौजूद अंसारुल्लाह गुट और यमन के सैनिकों के बीच हुई।

संयुक्त अरब अमीरात में 87 देशों के लिए वीजा–मुक्त प्रवेश

उर्दू टाइम्स (20 मार्च) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व के 87 देशों के नागरिकों को अपने हवाई अड्डे पर उतरते ही वीजा मुक्त सुविधाएं देने की घोषणा की है। अरब मीडिया के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने जिन देशों को वीजा मुक्त सुविधाएं देने का फैसला किया है उनकी सूची फिर से बनाई गई है। इसमें इजरायल और भारत सहित 87 देश

शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय के अनुसार इन देशों के नागरिकों को हवाई अड्डे पर पहुंचने पर 30-90 दिनों का वीजा दे दिया जाएगा, जिसे बाद में दस दिनों का और विस्तार किया जा सकता है। सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि खाड़ी सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नागरिकों को प्रवेश वीजा की जरूरत नहीं होगी और वे अपने देशों की ओर से जारी पासपोर्ट या पहचानपत्र दिखाने पर संयुक्त अरब अमीरात में दाखिल हो सकेंगे। भारतीय नागरिकों को भी संयुक्त अरब अमीरात में आने के लिए पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें हवाई अड्डे पर आते ही 14 दिनों का मुफ्त वीजा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ■

ईरान का नया गाजा ड्रोन इजरायल और अमेरिका के लिए खतरा

एतेमाद (27 मार्च) के अनुसार ईरान ने दोहा के अंतरराष्ट्रीय हथियार मेले में 'गाजा' नामक अपने अत्याधुनिक ड्रोन को पहली बार पेश किया है। वाल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के अनुसार यह ड्रोन टर्बोप्रॉप इंजन से लैस है और 35 हजार फीट की ऊंचाई पर दो हजार किलोमीटर दूर अपने लक्ष्यों को निशान बना सकता है। इसमें 13 गाइडेड बम ले जाने की क्षमता है। ईरान ने इसका नाम 'गाजा' रखा है ताकि उन फिलिस्तीनियों के साथ एकता दिखाई जा सके, जो गाजा में इजरायल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। ईरान ने पहली बार अपने देश से बाहर किसी हथियार मेले में हिस्सा लिया है। इसके अतिरिक्त ईरान ने चालक रहित अपने एक युद्ध विमान को भी इस प्रदर्शनी में पेश किया है, जो 1243 मील दूर तक मार कर सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार यह ड्रोन और चालक रहित विमान इजरायल को अपना निशाना बना सकता है। इससे मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों को जबर्दस्त झटका लगने की संभावना है। ईरान ने इस प्रदर्शनी में अपने अनेक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर भी पेश किए हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हथियारों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद से ईरान ने अपने हथियारों को विश्व बाजार में बिक्री के लिए पेश करना शुरू कर दिया है। ईरान के उप रक्षा मंत्री सैय्यद महदी फराही ने कहा है कि ईरान ने मार्च 2022 से मार्च 2023 तक एक बिलियन डॉलर के हथियार विश्व के विभिन्न देशों को बेचे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना अधिक है। ईरान के सैनिक वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियारों को विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य ईरानी सेना को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और इन्हें विश्व बाजार में बेचना है। ■

सीरिया पर इजरायल का हमला

इंकलाब (30 मार्च) के अनुसार इजरायली सेना ने गाजा के साथ-साथ सीरिया पर भी बमबारी शुरू कर दी है। सीरिया के हलब नगर पर इजरायली वायुसेना के हमले में लेबनानी आतंकी गुट हिजबुल्लाह के छह वरिष्ठ कमांडर सहित 42 लोग मारे गए। सीरिया की रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि इस हमले में कई सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। दूसरी ओर, इजरायली विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि उन्होंने सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों को अपना निशाना बनाया और इन हमलों में हिजबुल्लाह के लेबनानी समूह के छह वरिष्ठ कमांडर मारे गए। ब्रिटेन के संगठन ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि हलब के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप स्थित गोला बारूद के भंडारों पर इजरायल द्वारा हमले किए गए और वहां पर कई बड़े धमाके हुए। हाल ही में इजरायल ने सीरिया स्थित ईरान समर्थक संगठनों के अड्डों पर अपने हमलों में वृद्धि कर दी है। इजरायल ने सीरिया की सेना और वायुसेना के अड्डों को भी अपना निशाना बनाया है।

गौरतलब है कि इजरायल ने यह घोषणा की है कि वह इराक और सीरिया में ईरान से संबंधित आतंकी संगठनों के सैन्य अड्डों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेगा। इजरायली सेना इस वर्ष अब तक ईरान समर्थक आतंकी संगठनों पर 147 हमले कर चुकी है। इराक की सरकार ने इजरायल को यह चेतावनी दी है कि वह इराक की वायु सीमा का अतिक्रमण करने से बाज आए, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके जवाब में इजरायल के सैनिक मुख्यालय ने यह दावा किया था कि उसकी वायुसेना इराक के किसी नागरिक या सैनिक को अपना निशाना नहीं बना रही है, बल्कि वह ईरान समर्थित उन मिलिशया संगठनों के अड्डों को अपना निशाना बना रही है, जो इजरायल विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं और इजरायल के सैनिक और नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

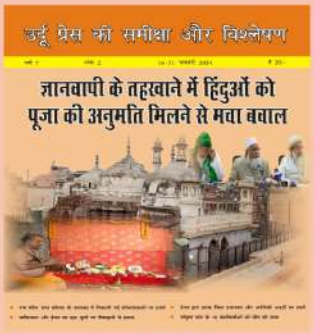

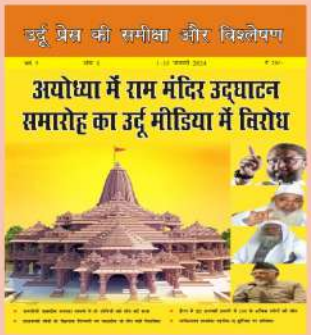

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in